न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 11/2021
जीसीएमएस नं. 2021/23

दायर दिनांक 16.11.2021
निर्णय दिनांक 13.08.2025

1. श्री गणेशलाल पिता कुरियाजी जोशी जाति ब्रहम्ण
2. श्री राजेश पिता गेफरलाल जोशी जाति ब्रहम्ण
निवासीयान भासौर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1.श्रीमति मोगी पत्नि वेलजी पाटीदार
2. श्री वेलजी पिता पेमजी पाटीदार
निवासीयान भासौर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
3. भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री मुकेश भट्ट – अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री संजीव भटनागर – रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता 1 व 2

–:निर्णयः– **दिनांक –13.08.2025**

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राज.भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया है। अपील प्रार्थना का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम भासोर के स्थासी निवासी है। ग्राम भासोर में प्रार्थीगण की काश्त की भूमि स्थित है। जिसके पडौस में खसरा नम्बर 416 की भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

राजेश का अपने पिता श्री गेफर लाल के जीवनकाल के रकबा पॉच बीघा भूमि पर कास्त व कब्जा करीब चालीस वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर बेरोकटोक अभी तक बना हुवा है।

प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त भी भूमि खसरा संख्या 416 रकबा पॉच बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या एक श्रीमति मोगी तथा श्री पेमजी पाटीदार कभी भी कब्जा नही रहा है। यह भूमि विपक्षी संख्या एक व दो की काश्त की भूमि काफी दूरी पर है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो ने खसरा संख्या 416 की रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के द्वारा मिसल संख्या 151 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा की गई है। इस खसरा संख्या 416 रकबा पॉच बीघा भूमि पर अभी भी प्रार्थीगण का कब्जा बना हुआ है तथा प्रार्थीगण ने इस भूमि को मेहनत मजदूरी कर तथा आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है और इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे है तथा उसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण ही कर रहे है।

विपक्षी संख्या एक व दो को आवंटित किये जाने के पूर्व से ही खसरा संख्या 416 की पॉच वीघा भूमि पर प्रार्थीगण का काश्त कब्जा बना हुआ है। जिसके संबंध में प्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये गये है तथा इस भूमि की पेनाल्टी भी समय समय पर प्रार्थी के द्वारा जमा कराई गई है। इस प्रकार विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि वास्तव में रिक्त नही थी और आवंटन किये जाने योग्य नही होने पर भी विपक्षीगण को उक्त भूमि को आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को मौके पर आकर किसी भी प्रकार का भौतिक रूप से कब्जा भी सुपूर्द नही किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के द्वारा नियमो के विरूद्ध भूमि का आवंटन करवाया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर तथा द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। विपक्षीगण का आवंटित की गई भूमि पर कभी कब्जा ही नही रहा तो काश्त करने का प्रश्न ही नही है। फिर भी राजस्व अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। इस कारण आवंटन का तथा खातेदारी प्रदान करने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खसरा संख्या 416 रकवा एक वीघा दस विस्वा भूमि का किया गया आवंटन आदेश पत्रावली संख्या 151/2001 फैसल दिनांक 25.10.2001 को निरस्त करना फरमावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट कि तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सजीव भटनागर द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रकरण गांव भासौर के खसरा नम्बर 416 से संबंधित है जो खसरा पहले काफी बडा था जिसमें से दिनांक 25.10.2001 को प्रार्थीगण को 2.10 बीघा भूमि तथा विपक्षी को उसी दिन दिनांक 25.10.2001 को 1.10 बीघा भूमि आवंटित हुई। दोनो को आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार दिनांक 22.10.2005 को प्राप्त हो चुके है। विपक्षी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण का यह कथन कि विपक्षी को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का 40 वर्षो से कब्जा है, सरासर गलत है। विपक्षीगण को आवंटित विवादित भूमि खसरा नम्बर 6818/416 रकबा 1.10 बीघा पर विपक्षीगण का कब्जा आवंटन के पहले से आज दिन तक बना हुआ है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 416 के रकबा 5 बीघा पर कब्जा नही है। प्रार्थीगण की एवं विपक्षीगण की भूमि अलग अलग है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण की भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है। प्रार्थीगण ने आवंटन के समय अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त के समय कभी आवंटन व कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति पेश नही की । अब यह अपील आवंटन के तकरीबन 10 वर्ष पश्चात गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश की है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित उडद व तील की फसले प्रतिवर्ष कर रहे है। प्रार्थीगण को भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है ऐसे में दरखास्त मियाद बाहर होने से भी काबिल निरस्त है। विवादित खसरा नम्बर 416 में प्रार्थी को तथा विपक्षीगण को एक ही दिन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा द्वारा भूमि आवंटित की गई है। जिस कारण विपक्षी के आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को आवंटन के समय से है। विपक्षी को भूमि आवंटन नियमानुसार समस्त आवश्यक प्रक्रिया अपना विस्तृत जांच करने के उपरान्त भूमि आवंटन की पात्रता रखने पर आवंटित की गई है। दिनांक 25.10.2001 को गांव में कई लोगो को भूमि आंवटित की गई जिसमें विपक्षीगण के साथ साथ प्रार्थी को भी भूमि उसी दिन आवंटित हुई ऐसे में विपक्षी के आवंटन में अगर कोई काट छांट है तो वह लेखन की त्रुटि मात्र है। इस तथाकथित काट छाट से आवंटन पर किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नही पडता है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 416 के संबंध में प्रार्थी को धारा 91 के नोटिस प्रार्थी ने अपने प्रभाव से जारी करवाये है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 416 बडा खसरा है, ऐसे में धारा 91 के नोटिस विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित नही होकर प्रार्थी के कब्जे की भूमि से है, जिसका आंवटन प्रार्थी को विपक्षीगण के आंवटन के समय दिनांक 25.10.2001 को हो चुका है। प्रार्थीगण ने अपने स्वयम के खसरा नम्बर 416 के आवंटन को छिपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है। ऐसे में प्रार्थीगण न्यायालय से किसी प्रकार कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है । प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की कोरम से साठ गांठ कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। उक्त तथाकथित मौका निरीक्षण में विपक्षीगण को नही बुलाया गया, रिपोर्ट एक तरफा तैयार की गई है । वादग्रस्त खसरा नम्बर 416 का रकबा बडा है ऐसे में

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

मौका रिपोर्ट विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित हो, यह साबित नही होता है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनो के आवंटन विवादित खसरा नम्बर 416 के एक ही दिन दिनांक 25.01.2001 को हुए है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के आवंटन की जानकारी आवंटन दिनांक 25.10.2001 से है । दरखास्त 10 वर्ष पश्चात विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात मिलने के पश्चात पेश की गई है। प्रार्थीगण ने अपने आवंटन के तथ्यो को छिपा कर अपील पेश की है। ऐसे में अपील निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त की जाये।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

4 हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5 अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भासोर में प्रार्थीगण की काश्त की भूमि स्थित है। जिसके पडौस में खसरा नम्बर 416 की भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी राजेश का अपने पिता श्री गेफर लाल के जीवनकाल के रकबा पॉच बीघा भूमि पर काश्त व कब्जा करीब चालीस वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर बेरोकटोक अभी तक बना हुवा है।

प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त भी भूमि खसरा संख्या 416 रकबा पॉच बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या एक श्रीमति मोगी तथा श्री पेमजी पाटीदार कभी भी कब्जा नही रहा है। यह भूमि विपक्षी संख्या एक व दो की काश्त की भूमि काफी दूरी पर है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो ने खसरा संख्या 416 की रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के द्वारा मिसल संख्या 151 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा की गई है। इस खसरा संख्या 416 रकबा पॉच बीघा भूमि पर अभी भी प्रार्थीगण का कब्जा बना हुआ है तथा प्रार्थीगण ने इस भूमि को मेहनत मजदूरी कर तथा आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है और इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे है तथा उसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण ही कर रहे है।

विपक्षी संख्या एक व दो को आवंटित किये जाने के पूर्व से ही खसरा संख्या 416 की पॉच बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का काश्त कब्जा बना हुआ है। जिसके संबंध में प्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये गये है तथा इस भूमि की पेनाल्टी भी समय समय पर प्रार्थी के द्वारा जमा कराई गई है। इस प्रकार विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि वास्तव में रिक्त नही थी और आवंटन किये जाने योग्य नही होने पर भी विपक्षीगण को उक्त भूमि को आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को मौके पर आकर किसी भी प्रकार का भौतिक रूप से कब्जा भी सुपूर्द नही किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के द्वारा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

नियमो के विरूद्ध भूमि का आवंटन करवाया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर तथा द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। विपक्षीगण का आवंटित की गई भूमि पर कभी कब्जा ही नही रहा तो काश्त करने का प्रश्न ही नही है। फिर भी राजस्व अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। इस कारण आवंटन का तथा खातेदारी प्रदान करने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खसरा संख्या 416 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन आदेश पत्रावली संख्या 151/2001 फैसल दिनांक 25.10.2001 को निरस्त करना फरमावे।

6. रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण गांव भासौर के खसरा नम्बर 416 से संबंधित है जो खसरा पहले काफी वडा था जिसमें से दिनांक 25.10.2001 को प्रार्थीगण को 2.10 बीघा भूमि तथा विपक्षी को उसी दिन दिनांक 25.10.2001 को 1.10 बीघा भूमि आवंटित हुई। दोनो को आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार दिनांक 22.10.2005 को प्राप्त हो चुके है। विपक्षी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण का यह कथन कि विपक्षी को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का 40 वर्षो से कब्जा है, सरासर गलत है। विपक्षीगण को आवंटित विवादित भूमि खसरा नम्बर 6818/416 रकबा 1.10 वीघा पर विपक्षीगण का कब्जा आवंटन के पहले से आज दिन तक बना हुआ है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 416 के रकबा 5 बीघा पर कब्जा नही है। प्रार्थीगण की एवं विपक्षीगण की भूमि अलग अलग है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण की भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है। प्रार्थीगण ने आवंटन के समय अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त के समय कभी आवंटन व कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति पेश नही की । अब यह अपील आवंटन के तकरीबन 10 वर्ष पश्चात गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश की है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित उडद व तील की फसले प्रतिवर्ष कर रहे है। प्रार्थीगण को भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है ऐसे में दरखास्त मियाद बाहर होने से भी काबिल निरस्त है। विवादित खसरा नम्बर 416 में प्रार्थी को तथा विपक्षीगण को एक ही दिन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा द्वारा भूमि आवंटित की गई है। जिस कारण विपक्षी के आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को आवंटन के समय से है। विपक्षी को भूमि आवंटन नियमानुसार समस्त आवश्यक प्रक्रिया अपना विस्तृत जांच करने के उपरान्त भूमि आवंटन की पात्रता रखने पर आवंटित की गई है। दिनांक 25.10.2001 को गांव में कई लोगो को भूमि आंवटित की गई जिसमें विपक्षीगण के साथ साथ प्रार्थी को भी भूमि उसी दिन आवंटित हुई ऐसे में विपक्षी के आवंटन में अगर कोई काट छांट है तो वह लेखन की त्रुटि मात्र है। इस

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

तथाकथित काट छाट से आवंटन पर किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नही पडता है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 416 के संबंध में प्रार्थी को धारा 91 के नोटिस प्रार्थी ने अपने प्रभाव से जारी करवाये है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 416 बडा खसरा है, ऐसे में धारा 91 के नोटिस विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित नही होकर प्रार्थी के कब्जे की भूमि से है, जिसका आंवटन प्रार्थी को विपक्षीगण के आंवटन के समय दिनांक 25.10.2001 को हो चुका है। प्रार्थीगण ने अपने स्वयम के खसरा नम्बर 416 के आवंटन को छिपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है। ऐसे में प्रार्थीगण न्यायालय से किसी प्रकार कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है । प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की कोरम से साठ गांठ कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। उक्त तथाकथित मौका निरीक्षण में विपक्षीगण को नही बुलाया गया, रिपोर्ट एक तरफा तैयार की गई है । वादग्रस्त खसरा नम्बर 416 का रकबा बडा है ऐसे में मौका रिपोर्ट विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित हो, यह साबित नही होता है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनो के आवंटन विवादित खसरा नम्बर 416 के एक ही दिन दिनांक 25.01.2001 को हुए हैं। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के आवंटन की जानकारी आवंटन दिनांक 25.10.2001 से है । दरखास्त 10 वर्ष पश्चात विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात मिलने के पश्चात पेश की गई है। प्रार्थीगण ने अपने आवंटन के तथ्यो को छिपा कर अपील पेश की है। ऐसे में अपील निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त की जाये।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा भासौर के खसरा न. 416 मे से रकबा 0.2427 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के मिसल संख्या 151/2001 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित हुई। आवंटित भूमि का आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण स.1370 दिनांक 06.12.2001 को खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। आवंटी को खातेदारी अधिकार नामान्तरण स. 1677 दिनांक 25.11.2005 द्वारा प्रदान किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन किया गया।

वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075 मौजा भासौर तहसील सागवाडा ख.न. 6818/416 रकबा 0.2427 हैक्टर मोगी पत्नि वेलजी हिस्सा 1/2 वेलजी पुत्र पेमजी हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

किया जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा कब्जे के सबंध में धारा 91 के जो नोटिस प्रस्तुत किये है उनसे यह कदापि सावित नहीं होता है कि आवंटी को आवंटित आराजी से सम्बन्धित यह नोटिस है क्योकि आवंटन से पूर्व खसरा न 416 का रकबा बड़ा था, जिसमें से रकवा 1 विघा 10 विस्वा आवंटन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सागवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होने से नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात संवत् 2065 फसल खरीफ की गिरदावरी में सोयावीन, तील फसल दर्ज रिकोर्ड है । अतः मौके पर रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 का ही कब्जा है।

आवंटन वर्ष 2001 का है, जिसको लगभग 24 वर्ष हो चुके है। आवंटी द्वारा आवंटन के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति थी तो आवंटन के समय प्रस्तुत करनी थी। अब आवंटी को खातेदारी हक प्राप्त होने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं वहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सावित होता है। अपीलाण्ट की ओर से विना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 विना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के मिसल संख्या 151/2001 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 416 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा (नया नम्बर 6818/416 रकवा 0.2427है0) भूमि आवंटन आदेश को यथावत वहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.08.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर